

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

उद्देश्य: "योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक, आर्थिक क्षमता विकास करते हुए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें"

लाभार्थी :- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम) के अन्तर्गत वे सभी परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है, राजीव अन्न योजना के लाभार्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हैं या कम आय वर्ग (LIG) में आते हैं, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) हिमाचल प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों में संचालित किया जा रहा है | NULM की अवधारणा है कि गरीब मेहनती होते हैं और गरीबी से बाहर आने की उनकी प्रबल इच्छा होती है। उनकी क्षमताओं को सार्थक और टिकाऊ आजीविका उत्पन्न करने के लिए अवसर प्रदान करना एक चुनौती है। इस प्रक्रिया में पहला कदम शहरी गरीबों को अपने संघ जैसे- स्वयं-सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करना है, इस कार्य हेतु इनकी एवं इनके संस्थाओं की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है जिससे ये लोग बैंकों की ऋण सुविधा तक पहुँच बनाकर अपने कौशल, व्यवसाय और संपत्ति का विस्तार कर सकें, इसके लिए शहरी गरीबों की निरंतर सहयोग और क्षमता विकास करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का मानना है कि किसी भी आजीविका संवर्धन कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब कार्यक्रम का नेतृत्व गरीबों और उनके संस्थानों के द्वारा हो, इस तरह के मजबूत संस्थागत मंच गरीबों को सामाजिक, आर्थिक, मानव संसाधन और अन्य संपत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं एवं यह एकजुटता की भावना , नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करते हैं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उनके अधिकारों और सेवाओं के उपयोग के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करता है।



इस योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं -



1. सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास:- इस घटक का उद्देश्य लाभार्थी परिवार के सदस्यों को स्वयंसहायता समूहों से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता का विकास करना एवं मिशन के लाभ से जोड़ना है। यह कार्य नेहरु युवा केंद्र संगठन (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के माध्यम से किया जा रहा है, रिसोर्स आर्गनाइजेशन दो साल

तक समूहों के साथ मिलकर इन्हें सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करेगा। छः माह तक स्वयं सहायता समूह के सफल संचालन के बाद प्रत्येक समूह को 10,000/- रुपये चक्रीय निधि के रूप में दिया जायेगा। एक शहर में बनाये गए 10 से 20 स्व-सहायता समूहों का एक संघ (एरिया लेवल फेडरेशन) बनाया जायेगा। एरिया लेवल फेडरेशन को आंतरिक लेनदेन (क्षमता विकास) हेतु 50,000/- रुपये रेवोल्विंग फण्ड दिया जाएगा। एरिया लेवल फेडरेशन को मिलाकर शहर स्तर पर सिटी लेवल फेडरेशन का निर्माण किया जायेगा।

स्वयं सहायता समूह :- स्वयं सहायता समूह 10 से 15 लोगों का एक संगठन होता है (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होता है, उन क्षेत्रों में 5 लोगों का भी समूह बनाया जा सकता है) जो बचत एवं ऋण के माध्यम से सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इन समूहों में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन होता है एवं समूह सदस्यों से नियमित बचत एकत्रित कर सामूहिक कोष का निर्माण किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार समूह के सदस्यों को समूह के कोष से लघु अवधि के लिए ऋण भी दिया जाता है। जब सदस्यों को अधिक धन की आवश्यकता होती है तब स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पर बैंको से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह के कार्पस/सामूहिक कोष का चार गुना तक CCL (नगद साख सीमा) के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है, इसके अलावा समूह समूह अपने सूक्ष्म ऋण योजना के अधर पर टर्म लोन भी बैंको से प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अन्तर्गत शहरी गरीबों का समूह बनाया जा रहा है जिसमें की गरीब सदस्यों का प्रतिनिधित्व 70% होना ही चाहिए। इस योजना के तहत साधारणतः महिलाओं के समूहों का गठन किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लाभ :-

- सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार।
- समस्याओं की पहचान और उसका समाधान।
- परिवार एवं समाज में स्व-सम्मान में वृद्धि।

- नेतृत्व क्षमता का विकास।
- लिंग-भेद की समाप्ति एवं समानता ।

स्वयं सहायता समूह में जुड़ने की प्रक्रिया-



समूह गठन का कार्य क्षेत्र में पदस्थ नेहरू युवा केंद्र संगठन के वालंटियर एवं शहरी निकायों में कार्यरत कम्युनिटी आर्गनाइजर (जो प्रत्येक स्थानीय शहरी निकाय में एक पदस्थ होंगे) द्वारा किया जा रहा है । वालंटियर दो साल तक समूहों के साथ मिलकर इन्हें सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करेंगे और समूहों को इन दो

वर्षों में आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान कर आत्मनिर्भर बनायेंगे, जिससे समूह अपने दैनिक कार्य (नियमित बैठक, बचत, पारस्परिक लेनदेन एवं अभिलेखों का रख-रखाव इत्यादि) स्वयं कर सकें । इच्छुक व्यक्ति/महिला समूह में जुड़ने के लिए अपने क्षेत्र में कार्यरत वालंटियर, कम्युनिटी आर्गनाइजर अथवा अपने स्थानीय शहरी निकायों में संपर्क कर सकते हैं।

शहरी आजीविका केंद्र - NULM के अन्तर्गत राज्य के दस शहरो में शहरी आजीविका केंद्र (City Livelihood Centre) खोले जा रहे हैं, श्य शहरजिसका उद्दे के लोगो की रोजमर्रा से जुडी सेवाएं प्रदान करना एवं शहरी कुशल/अर्द्ध-कुशल लोगो को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है । शहरी आजीविका केंद्र द्वारा इलेक्ट्रीशियन , ब्यूटिशियन, प्लम्बर , बढईगीरी, पेंटर, वेल्डर,बागवानी, हाउसकीपिंग, दैनिक मजदूर इत्यादि से सम्बंधित सेवाएं एक फोन पर शहर के निवासियों हेतु उपलब्ध होगी । इस हेतु विभिन्न सेवाओ से जुडे दक्ष/प्रशिक्षित लोग इन आजीविका केन्द्रों में अपना पंजीयन निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कर सकते हैं ।

उद्देश्य-

- शहरी गरीबों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना जिससे वे अपने उत्पादों एवं सेवाओं को शहर के लोगो तक उचित कीमत में पहुंचा सकें।
- कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाना।
- बैंको से कम ब्याज पर आसान ऋण की व्यवस्था।
- रोजगार के अवसर मुहैया करवाना।
- शहरी गरीबों तक सरकार के विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनका लाभ दिलवाना ।
- शहर के निवासियों के लिए रोजमर्रा की सेवाओ तक आसान पहुँच।
- सेवा प्रदाताओं के लिए सुचना केंद्र का कार्य करना ।



उद्देश्य : शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न प्रयास सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे हैं। शहरी युवा जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए रोजगार के साधन नहीं जुटा पा रहे हैं अथवा शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में नौकरी अथवा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे युवा जो प्रशिक्षण के बाद तीन महीने के अंदर रोजगार या स्व-रोजगार करना चाहते हैं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उनकी जीविका उपार्जन के साधनों को विकसित करना, इस योजना उद्देश्य है। कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता के मानकों एवं सेक्टर स्किल काउंसिल के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत अधिकतम प्रति लाभार्थी 34,888/-रुपये तक व्यय करने का प्रावधान है। राज्य सरकार का शहरी विकास विभाग राज्य के सभी शहरी निकायों में कौशल विकास प्रशिक्षण करवा रहा है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से प्रमाणपत्र प्रदान करवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

लाभार्थी :

इस योजना के लिए योग्य लाभार्थी, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले महिला एवं पुरुष हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गयी है इसलिए किसी भी उम्र के वयस्क व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

योजना के लाभ :

1. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2. प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षण देने वाली संस्था के द्वारा प्रशिक्षु को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी उपलब्ध करायी जाती है एवं जो युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो उन्हें 7% वार्षिक ब्याज पर व्यक्तिगत उद्यम के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।



योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया :-

कार्यक्रम के अंतर्गत एन. एस. डी. सी. (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) की सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति नजदीकी शहरी निकाय, कम्युनिटी आर्गनाइजर, नेहरु युवा केंद्र संगठन के वालंटियर या ट्रेनिंग सेण्टर में आवेदन दे सकता है। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं द्वारा इसके पश्चात इच्छुक व्यक्ति को प्रवेश की जानकारी प्रदान की जाती है एवं प्रशिक्षण शुरू किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु युवा की क्षमता का आकलन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है एवं सफल रहने पर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं द्वारा न्यूनतम 70 प्रतिशत लोगों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है एवं ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो उन्हें कम ब्याज पर बैंको से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

योजना के तहत स्थानीय शहरी निकायों द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जैसे- Apparel, Beauty and Wellness, Construction & plumbing, Retail, Telecom, Tourism and Hospitality, Mason, Data entry Operator आदि।

स्वरोजगार कार्यक्रम:- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया करवाना है, कार्यक्रम के माध्यम से समूहों का गठन एवं उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। यह घटक शहरी गरीबों के कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यक्तिगत/सामूहिक व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसमें शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)को बैंक से आसान ऋण और स्वयं सहायता समूह के ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की सुविधा का भी प्रावधान है। शहरी बेरोजगारों को, सेवा एवं निर्माण से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय शुरू करने (जिसकी स्थानीय मांग हो) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत स्थानीय शिल्प कौशल को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।



स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या कम से कम 30 प्रतिशत होगी | अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों को शहर/कस्बे में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत 3% आरक्षण का विशेष प्रावधान दिव्यांगों के लिए किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कल्याण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस घटक के तहत कुल लक्ष्य का कम से कम 15% भाग अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया गया है।

स्वरोजगार कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है, 1. व्यक्तिगत स्वरोजगार कार्यक्रम 2. सामूहिक स्वरोजगार कार्यक्रम 3. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज |



1. **व्यक्तिगत स्वरोजगार कार्यक्रम :** - इस के तहत कोई भी शहरी बेरोजगार जो की लाभार्थी की श्रेणी में आता हो, को 7% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक के ऋण, बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
2. **सामूहिक स्वरोजगार कार्यक्रम :-** इस के तहत कम से कम पांच व्यक्तियों या महिलाओं के समूह को व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपये तक की राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। इस के तहत देय ब्याज की दर केवल 7 प्रतिशत होगा ।
3. **स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज :-** स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के तहत समूहों को उनके कार्पस के अनुपात में बैंक द्वारा ऋण साख सीमा तय की जाती है, समूह उस सीमा तक बैंक से ऋण ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समूह के पारस्परिक लेनदेन को प्रोत्साहित करना होता है। इस के तहत महिला समूह जो अपने ऋण की किस्तें समय से चुकाएगी उसको 3 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज छूट का लाभ प्राप्त होगा। अर्थात कुल देय ब्याज केवल 4 प्रतिशत होगी।

लाभार्थी का चयन:

नेहरु युवा केंद्र संगठन के वालंटियर, सामुदायिक संगठनकर्ता और स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) शहरी गरीबों के बीच से संभावित लाभार्थियों की पहचान करेंगे। एनयूएलएम के तहत गठित सामुदायिक संरचनाओं जैसे स्वयं सहायता समूह (SHG), क्षेत्रीय फेडरेशन (ALF) भी भावी व्यक्तिगत और समूह के उद्यमियों की पहचान कर यूएलबी में भेज सकते हैं। संभावित लाभार्थी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं शहरी निकाय में संपर्क कर सकता है। बैंक भी अपने स्तर पर भावी लाभार्थियों की पहचान कर स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) में भेज सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता :

इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि व्यवसाय करने के लिए कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, वित्तीय सहायता देने से पहले लाभार्थियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, इस के तहत उनको एनयूएलएम के कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के द्वारा उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। यदि लाभार्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो तो यह वित्तीय सहायता के लिए मान्य होगा। व्यक्तिगत और समूह के उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण के अलावा 3 से 7 दिनों का उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

वित्तीय सहायता का स्वरूप :

शहरी गरीबों के लिए व्यक्तिगत और समूह के उद्यमों की स्थापना में वित्तीय सहायता केवल बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगी। व्यक्तिगत या समूह के उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण पर 7 % ब्याज दर के ऊपर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायी जाएगी। महिला समूह जो अपने ऋण की किस्त समय पर जमा करवाएगा उन्हें ऋण पर 3% अतिरिक्त छुट मिलेगा अर्थात ब्याज मात्र 4% देना होगा। व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए

परियोजना लागत दो लाख रुपये और सामूहिक व्यवसाय के लिए दस लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से प्रदान किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के इच्छुक लाभार्थी बुनियादी विवरण के साथ एक सादे कागज पर नाम, आयु, संपर्क नंबर, पता, आधार कार्ड विवरण(यदि हो तो), ऋण राशि की आवश्यकता, उद्यम / गतिविधि का प्रकार, बैंक खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) का उल्लेख करते हुए यूएलबी अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने पर आवेदक को पंजीकरण संख्या सहित एक रसीद यु एल बी द्वारा दी जाएगी।

ऋण आवेदन फॉर्म आदि भरने, व्यावसायिक गतिविधि विवरण, पहचानपत्र, पते का प्रमाण, बैंक खाते के विवरण सहित अपेक्षित दस्तावेज पूरा करने के लिए प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों को बाद में बुलाया जायेगा और सभी मायनों में पूरा आवेदन यूएलबी स्तर पर गठित टास्क फोर्स के पास भेजा जाएगा, टास्क फोर्स साक्षात्कार के लिए संभावित लाभार्थियों को बुलाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवेदक से अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है। आगे की प्रक्रिया के लिए टास्क फोर्स की सिफारिश के साथ ऋण आवेदनों को संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा। चूँकि मामला पहले से ही टास्क फोर्स ने सिफारिश किया है इसलिये ऋण आवेदन को 15 दिन के भीतर सम्बंधित बैंको द्वारा निष्पादित कर दिया जायेगा।

4. शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता

पथ विक्रेता नौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण किसी भी शहर के अ (रेहड़ी फड़ी वाले) स्तम्भ होते हैं। रेहड़ी फड़ी स्वरोजगार का एक माध्यम और शहरी गरीबी उन्मूलन का एक जरिया है। इसलिये रेहड़ी फड़ी वाले किसी भी शहर के आर्थिक विकास के अभिन्न अंग हैं। बावजूद इसके उन्हें रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। **उनकी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं।**

कौशल एवं शिक्षा का अभाव:- प्रायः यह देखने में आया है की पथ विक्रेताओ को कौशल एवं शिक्षा के अभाव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पथ विक्रेता उधार बिक्री का कोई भी लिखित लेखा जोखा नहीं रखते है और कुछ समय बाद भूल जाते हैं इस कारण उन्हें होने वाली लाभ की मात्रा भी कम होती है। उद्यमशीलता के अभाव के कारण ग्राहक से कैसे बात करनी है, इत्यादि का ध्यान नहीं रखते हैं। इस कारण उन्हें नुकसान होता है।

औपचारिक ऋण सुविधाओं का अभाव :- पथ विक्रेता स्थानीय लोगों से दैनिक आधार पर कर्ज लेते है और सामान बेचकर शाम में ब्याज के साथ वापस करते हैं, ब्याज की दर अक्सर 10 से 20 प्रतिशत तक होती है। इस तरह से पथ विक्रेताओ की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पूंजी की व्यवस्था करने में चला जाता है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ:- अनौपचारिक क्षेत्र होने के कारण और उचित जानकारी के अभाव में पथ विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा जैसे वृद्धावस्था पेंशन ,अटल पेंशन योजना , जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा इत्यादी का लाभ नहीं मिल पाता है और वे अस्वस्थता दुर्घटना इत्यादी की स्थिति में कर्ज का शिकार हो जाते हैं।

शहरी निकायों द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पथ-विक्रेताओं की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं

पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं पहचान पत्र जारी करना:

राज्य के शहरी विकास निदेशालय द्वारा एक गैर सरकारी संगठन की सहायता से क्षेत्रीय आधार पर बायोमेट्रिक सर्वे किया जा रहा है तथा पथ विक्रेताओं की जनगणना भी की जायेगी | सर्वे के आधार पर पथ विक्रेताओं का एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा | पथ (स्ट्रीट वेंडिंग जोन) बिक्री क्षेत्र एवं प्रतिबंधित पथ बिक्री क्षेत्र की पहचान की जाएगी एवं पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे |

शहरी पथ बिक्री योजना (City Street Vending Plan):

सर्वे के आधार पर विस्तृत शहरी पथ बिक्री योजना को तैयार किया जायेगा | इस शहरी पथ बिक्री योजना में मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जायेगा :

पथ विक्रेताओं की पहचान करना जैसे की (अ) पथिक (ब) घुमंतू एवं (स) स्थायी

पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक सर्वे :- इस सर्वे के दौरान पथ विक्रेताओं के बारे में उनके पास उपलब्ध प्रमाणपत्रों के आधार पर पथ विक्रेताओं की व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन भी किया जायेगा |

पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं लाइसेंस प्रदान करना तथा पथ बिक्रेताओं के विभिन्न प्रकार के कारोबार एवं गतिविधियों का प्रोफाइल तैयार करना, पथ बिक्री गतिविधियों के लिए उचित स्थान तय करना पथ विक्रेताओं के लिए मार्केट का निर्माण करना और मार्केट में मुलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, कूड़ा कचरा निपटान की योजना, सामूहिक शौचालय और पार्किंग इत्यादी सुविधाएँ मुहैया करवाना| यह योजना पथ बिक्रेताओं के प्रतिनिधियों एवं सांझेदारों के साथ विचार विमर्श करने के बाद तैयार की जायेगा |

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम

पथ विक्रेताओं की योग्यताओं के क्षमता वर्धन एवं सशक्तिकरण के लिए शहरी निकायों द्वारा क्षेत्रीय आधार पर एक अथवा दो दिन का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा| इस कार्यक्रम के द्वारा पथ विक्रेताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पथ विक्रेताओं , से सम्बंधित नियमों और कानून के बारे में जानकारी ,खाद्य सुरक्षा कचरा निस्तारण एवं साफसफाई के विषयों पर जानकारी प्रदान ,की जायेगी |

पथ विक्रेता जो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे उन्हें दैनिक भत्ता प्रदान किया जायेगा निकदें| भत्ते की दर पथ विक्रेता की न्यूनतम दैनिक आय के अनुसार प्रदान की जाएगी |

पथ विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा

पथ विक्रेता औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ सिर्फ कागजी प्रक्रिया, परिचय एवं पता प्रमाण पत्र, कार्यस्थल पर कानूनी अधिकार, व्यवसाय के प्रमाण पत्र और उचित जानकारी के आभाव में नहीं उठा पाते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से शहरी विकास विभाग, पथ विक्रेताओं के लिए बचत खाता, कम ब्याज पर ऋण, कार्यशील पूंजी के

लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में मदद कर रहा है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) की स्वरोजगार योजना के तहत पथ विक्रेता 2लाख रुपये तक के ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त कर सकते हैं।

इसके आलावा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे वृद्धावस्था पेंशन, अटल पेंशन योजना, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादी प्राप्त करने भी मदद कर रहा है। उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पथ विक्रेता सम्बंधित स्थानीय शहरी निकाय में आवेदन कर सकते हैं।

5.शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना-: प्रत्येक जिला मुख्यालय में शहरी आवासरहित लोगों के लिए स्थायी शेल्टर बनाए जाएंगे जिसमें प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फीट की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पुराने रैन बसेरों का पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। शेल्टर में गरीब लोग जो रहने खाने की व्यवस्था करने में असमर्थ होंगे के लिए मुफ्त रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। अन्य लोगों से उनकी आमदनी का 10 से 20 प्रतिशत किराये पर आवास सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इसके साथ साथ लाभार्थियों को उचित आजीविका के चयन में मदद दी जाएगी और उचित प्रशिक्षण के माध्यम से उनका कौशल विकास किया जायेगा। लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे वृद्धावस्था पेंशन, अटल पेंशन योजना, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादी से भी जोड़ा जायेगा। शेल्टर का रखरखाव एक कमिटी के माध्यम से किया जायेगा जिसमें लाभार्थियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। शेल्टर में परिवारों, विकलांग और संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए special जोन का निर्माण किया जायेगा इसके साथ साथ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग जोन निर्धारित किये जायेंगे। शेल्टर में पर्याप्त शौचालय, स्नानागार, के साथ साथ साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जायेगा। शेल्टर में सामूहिक रसोई के साथ साथ मनोरंजन इत्यादी के साधन भी उपलब्ध कराये जायेंगे। शेल्टर के रखरखाव के लिए बनार्यी गयी कमिटी उपलब्ध संसाधनों से अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था भी कर सकती है।
